उ0प्र0 शासन
लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग
संख्या-6/2024/542718/2024/91-1099/44/2023
लखनऊ दिनांकः 18 अप्रैल, 2024

कार्यालय आदेश

श्री विश्वभान प्रकाश नागेश, अनु सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग को सचिव समाज कल्याण शाखा में समीक्षा अधिकारी के रूप में तैनाती के दौरान समाज कल्याण अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2472/26-1-2012-80(1)/2012 दिनांक 19.11.2012 द्वारा भवन निर्माण अग्रिम के रूप में रू0 7,50000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिसकी वसूली रू0 10,000/- प्रतिमाह की दर से 75 समान किस्तों में जनवरी, 2013 के वेतन से प्रारम्भ होनी थी। कम्प्यूटर में तकनीकी कमी के कारण रू0 10,000/-प्रतिमाह की दर से कटौती सम्भव न हो पाने के दृष्टिगत उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.11.2012 को समाज कल्याण अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1205/26-1-2013-80(1)/2012 दिनांक 29.04.2013 द्वारा संशोधित करते हुए रू0 9375/- प्रतिमाह की दर से 80 किस्तों में भवन निर्माण अग्रिम की कटौती के आदेश निर्गत किए गये। इस प्रकार भवन निर्माण अग्रिम की कटौती मार्च पेड अप्रैल 2013 के वेतन से प्रारम्भ हुयी।

2. समस्त मूलधन एवं 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की नियमित कटौती पूर्ण हो जाने के उपरान्त अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु प्रकरण कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को संदर्भित किया गया। वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र सं0-एम.सी.सी.-1/85008 दिनांक 04.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि कटौती स्वीकृति आदेश दिनांक 19.11.2012 के प्रस्तर-7 के अनुरूप न होने के कारण 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा अर्थात कटौती विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण ऋणग्रहिता को 2.5 प्रतिशत ब्याज में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस प्रकार ब्याज के रूप में अवशेष देय धनराशि रू0 90280/- जमा करने के पश्चात ही अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज की उपरोक्त आपत्ति के क्रम में प्रकरण परामर्श हेतु वित्त विभाग को संदर्भित किया गया। वित्त विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये परामर्श में सक्षम स्तर पर यह अवधारित किया गया है कि मूलधन की कटौती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारम्भ होने में जो 03 माह का विलम्ब हुआ है वह कम्प्यूटर की तकनीकी त्रुटि के कारण हुआ है, इसमें ऋणग्रहिता का कोई दोष नहीं है एवं समाज कल्याण अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2472/26-1-2012-80(1)/2012 दिनांक 19.11.2012 द्वारा भवन निर्माण अग्रिम हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 750000/- के सापेक्ष ब्याज में प्रदान की गई 2.5 प्रतिशत की छूट उचित है।

4. उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री विश्वभान प्रकाश नागेश, अनु सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तत्कालीन समीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अनुभाग-1 को उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.11.2012 द्वारा स्वीकृत किए गये भवन निर्माण अग्रिम के सापेक्ष नियमानुसार देय ब्याज में 2.5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- बी-3-यू.ओ.-19/दस-2024 दिनांक 10.04.2024 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठाकंन संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकबन्दी)-प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त व्यय नियत्रंण अनु0-5, उ0प्र0 शासन।
3. श्री वी0पी0 नागेश, अनु सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.. इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समाज कल्याण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।